क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

275
जून
2002

नीति

जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता

जानबूझकर चूक करने वालों पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री एस.एस. कोहली) की कतिपय सिफ़ारिशों की अगली जांच के लिए रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल की सिफ़ारिशों पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों को निम्नानुसार कार्यान्वयन के लिए सूचित किया है :

परिभाषाएं

दिनांक 20 फरवरी 1999 के परिपत्र में निहित व्याख्याओं/परिभाषाओं को निम्नानुसार पुन: परिभाषित किया गया है :

जानबूझकर की गयी चूक **:** यदि निम्नलिखितों में से कोई भी स्थिति होती हो तो उसे *जानबूझकर की गयी चूक* माना जाएगा :

(क) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान/चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो, यद्यपि उस दायित्व को पूरा करने के लिए उसमें क्षमता थी।

(ख) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान/चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और ऋणदाता से प्राप्त वित्त का उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया हो जिसके लिए उसे लिया गया था बल्कि उसका उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया गया हो।

(ग) इकाई ने ऋणदाता के प्रति अपने भुगतान/चुकौती संबंधी दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और निधियों को गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरित किया हो जिससे न तो निधियों का उस निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह ली गयी थी और न ही इकाई के पास अन्य आस्तियों के रूप में निधियां उपलब्ध हैं।

निधियों का विशाखन : निधियों का विशाखन तब माना जाएगा जब नीचे दी गयी स्थितियों में से कोई भी स्थिति लागू होती हो :

(क) ऋण की मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अल्पावधि कार्यशील पूंजी का दीर्घावधि प्रयोजन के लिए उपयोग करना;

(ख) उधार ली गयी निधि को उन प्रयोजनों/कार्यों अथवा आस्तियों के सृजन से भिन्न उपयोग करना जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था;

(ग) निधियों का सहायक/ग्रुप कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों में अंतरण, चाहे वह किसी भी प्रकार से किया गया हो;

(घ) ऋणदाता से पूर्व अनुमति लिये बिना ऋणदाता बैंक अथवा सहायता संघ के सदस्यों को छोड़कर अन्य बैंक के माध्यम से निधियों को इधर-उधर लगाना (रूटिंग);

(ङ) ऋणदाता की पूर्व अनुमति लिये बिना ईक्विटी/ऋण दस्तावेज प्राप्त करके अन्य कंपनियों में निवेश:

(च) संवितरित/आहरित राशि की तुलना में निधियों के विनियोजन में कमी और उस कमी के कारणों को स्पष्ट न करना।

निधियों का गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरण (साइफनिंग आफ फंड्स): यह तब माना जाएगा यदि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ली गयी निधियों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाये जो उधारकर्ता के कामकाज से संबंधित नहीं हैं और इससे इकाई अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। किसी विशेष स्थिति में यह निर्णय करने के लिए कि निधियों का गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरण हुआ है अथवा नहीं, वास्तविक स्थिति और मामले से संबंधित परिस्थितियों के आधार पर ऋणदाता का अपना स्व-निर्णय होगा।

निधियों का अंतिम उपयोग

परियोजना वित्तीयन के मामले में, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का यह प्रयास रहा है

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता	1
स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	3
कंपनी ऋण का पुनर्विन्यास	3
सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	3
शाखा बैंकिंग	
मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना	4
पास बुक को अद्यतन बनाना	4
निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि	4
लघु उद्योगों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण	4
विदेशी मुद्रा	
विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन	4

कि वे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए सनदी लेखाकारों से प्रमाणपत्र प्राप्त कर निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करें। अल्पावधि कंपनी/बेज़मानती ऋणों के मामले में, ऋणदाताओं की ओर से स्वयं *समुचित सतर्कता* जैसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि, जहां तक संभव हो, इस प्रकार के ऋण केवल उन्हीं उधारकर्ताओं तक सीमित रहें जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता बिलकुल स्पष्ट है। अत: बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे सिर्फ सनदी लेखाकारों द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर न रहें बल्कि वे अपनी आंतरिक नियंत्रण एवं ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी मज़बूत करें ताकि उनके ऋण संविभाग की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण नीति दस्तावेज का एक हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। निम्नलिखित कुछ ऐसे उदाहरणस्वरूप उपाय हैं जो ऋणदाताओं द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी तथा उन्हें सुनिश्चित करने के लिए किये जा सकते हैं:

(क) उधारकर्ताओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट/परिचालन विवरण/तुलनपत्र की सार्थक जांच-पड़ताल;

(ख) ऋणदाताओं को जमानत के रूप में प्रभारित उधारकर्ताओं की आस्तियों का नियमित निरीक्षण;

(ग) उधारकर्ताओं की लेखा बहियों तथा अन्य बैंकों मे उनके गैर-ग्रहणाधिकार खातों की आवधिक जांच-पड़ताल;

(घ) सहायता प्राप्त इकाइयों का आवधिक दौरा;

(ङ) कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण के मामले में स्टॉक की आवधिक लेखा परीक्षा की प्रणाली;

(च) ऋणदाताओं के *ऋण* कार्यकलाप की आवधिक व्यापक प्रबंध लेखा-परीक्षा ताकि ऋण प्रशासन में वास्तविक कमज़ोरियों की पहचान की जा सके।

दंडात्मक उपाय

जानबूझकर चूक करनेवालों के पूंजी बाजार में प्रवेश को रोकने के प्रयोजनार्थ, रिज़र्व बैंक अब से सेबी को भी जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची की एक प्रति प्रेषित करेगा। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जानबूझकर चूक करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाइयां करें:

(क) बैंक/वित्तीय संस्थाएं सूचीबद्ध जानबूझकर चूक करनेवालों को कोई भी अतिरिक्त सुविधा प्रदान न करें। इसके अलावा, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे उद्यमियों/कंपनियों के प्रवर्तकों की पहचान की जाए जहां निधियों के विशाखन/गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरण, गलत बयानी, लेखों की जालसाज़ी और कपटपूर्ण लेनदेन किया गया हो तो उन्हें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं, सरकार के स्वामित्ववाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, निवेश संस्थाओं आदि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची में उनके नाम प्रकाशित किये जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नये उद्यम शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त से वंचित कर दिया जाए।

(ख) जहां आवश्यक हो, उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और बकायों की वसूली के मोचन निषेध का काम तुरंत शुरू किया जाए। ऋणदाता, जहां कहीं आवश्यक हो, जानबूझकर चूक करनेवालों के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

(ग) जहां कही संभव हो, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे जानबूझकर चूक करनेवाली इकाई के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

(घ) कंपनी के साथ ऋण करार में की गयी प्रतिज्ञा में, जिसमें अधिसूचित वित्तीय कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भागीदारी होती है, वित्तीय कंपनियों को इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि उधारकर्ता कंपनी का कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड का सदस्य नहीं है जिसकी पहचान जानबूझकर चूक करनेवाले व्यक्ति के रूप में की गयी है और यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति उधारकर्ता कंपनी के निदेशक बोर्ड का सदस्य पाया जाएगा तो कंपनी ऐसे व्यक्ति को बोर्ड से हटाने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करेगी।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से यह जरूरी होगा कि वे संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पारदर्शी तंत्र अपनायें ताकि दंड संबंधी प्रावधानों का दुरुपयोग न हो और इस प्रकार की विवेकाधीन शक्तियों की व्याप्ति को एकदम न्यूनतम रखा जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अकेले या इक्के-दुक्के उदाहरण को दांडिक कार्रवाई करने के लिए आधार नहीं बनाया जाता।

किसी समूह की ऋण लेने वाली एकल कंपनी की जानबूझकर चूक पर कार्रवाई करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अलग-अलग कंपनी के पिछले रिकार्ड पर, उसके उधारदाताओं को उसकी चुकौती के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में, विचार करना चाहिए। अलबत्ता, उन मामलों में, जहां समूह की कंपनियों द्वारा जानबूझकर चूक करने वाले यूनिटों की ओर से दिये गये आश्वासन पत्र और/या गारंटियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर सकारा नहीं जाता तो ऐसी समूह कंपनियों को भी जानबूझकर चूक करने वाली के रूप में गिना जाना चाहिए।

उच्चतम सीमाएं

पच्चीस लाख रुपये या अधिक की बकाया राशि रखने वाले किसी भी चूककर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निधियों के *विशाखन / गलत ढंग से अंतरण* के मामलों को संज्ञान के दायरे में रखने के लिए भी 25 लाख रुपये की यह सीमा लागू होगी।

लेखा परीक्षकों की भूमिका

ऐसे मामले में, जहां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं की ओर से खातों की जालसाजी पायी जाये तो, उन्हें यह पता लगने पर कि लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा करने में लापरवाह या त्रुटिपूर्ण थे, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइ सी ए आइ) के पास उधारकर्ताओं के लेखा-परीक्षकों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि आइ सी ए आइ जांच कर सके और लेखा परीक्षकों की जवाबदेही निश्चित कर सके।

इस उद्देश्य से कि निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखी जा सके, यदि ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा निधियों के विशाखन/गलत ढंग से दूसरी जगह अंतरण के संबंध में ऋणकर्ताओं के लेखा-परीक्षकों से विशिष्ट प्रमाणीकरण चाहता है तो ऋणदाता को इस प्रयोजन के लिए लेखा-परीक्षकों को पृथक आदेश देना चाहिए। लेख-परीक्षकों से इस प्रकार का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत होगी कि ऋण करारों में उचित प्रतिज्ञा पत्र शामिल किया जाता है।

सूचना देना (रिपोर्टिंग)

जानबूझकर चूक करनेवालों की परिभाषा में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को यह सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2002 तक की जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची संकलित करें तथा उसे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।

स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह बात रिज़र्व बैंक की जानकारी में लायी गयी है कि कुछ राज्यों से सूचना मिली है कि स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से चूककर्ता के संबंधियों को वंचित रखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशानिर्देशों के प्रयोजन हेतु *परिवार* और *चूककर्ता* शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

गरीबी रेखा से नीचे का परिवार: इस परिवार को आय सृजन आस्तियाँ देने के प्रयोजन से एक इकाई के रूप में माना जाएगा। एक परिवार के सदस्य जो शादी, खून के रिश्ते और गोद लेने से बने हैं, उन्हें एक परिवार माना जाएगा। पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता/बेटे/बेटियाँ/भाई और बहनों को *परिवार* माना जाएगा। माता-पिता/बेटा/बेटी/भाई/बहन के आश्रित न रहने पर तथा अलग घर होने पर वे गरीबी रेखा के नीचे के उसी परिवार के सदस्य नहीं माने जाएंगे।

जानबूझकर चूक करनेवाला व्यक्ति: इस व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार होगी - वह व्यक्ति जो ऋण की चुकौती करने में सक्षम है, लेकिन जानबूझकर चूक कर रहा है तथा जानबूझकर ऋण की चुकौती नहीं कर रहा है।

आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित समिति (नरसिंहम समिति II) की सिफारिशों में सामंजस्य रखते हुए तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के संबंध में प्रचलित अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के और निकट बढ़ने उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि 31 मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जायेगा जब वह 12 महीने के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है। बैंकों को यह अनुमति दी जाती है कि वे इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रावधानीकरण को चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध करें, जो 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होकर, प्रति वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत हो।

इससे पूर्व, आस्ति को तब संदिग्धपूर्ण माना जाता था जब वह 18 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में रहती थी ।

कंपनी ऋण का पुनर्विन्यास

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी ऋण का पुनर्विन्यास (सीडीआर) योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में परिचालनात्मक कठिनाइयों, यदि कोई हों, की पहचान करने के लिए सी डी आर योजना के परिचालनों की समीक्षा करने तथा इस योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए श्री वेपा कामेसम, उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया था। एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सी डी आर स्थायी दल (कोर-ग्रुप) की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर कंपनी ऋण पुनर्विन्यास के लिए अनुमति प्रदान करे बशर्ते कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) उधारदाता, जिनमें बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं, सी डी आर के लिए सहमत हों, भले ही बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में आस्ति वर्गीकरण की स्थिति में अंतर हो।

इससे पूर्व, अगस्त 2001 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्विन्यास बोर्ड (बीआइएफआर) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के दायरे से बाहर के ढांचे और वित्तीय समस्याओं का सामना करने वाली अर्थक्षम कंपनी संस्थाओं के ऋण के पुनर्विन्यास के लिए अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का समावेश करने के लिए कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

रिज़र्व बैंक कुछ समय से सरकारी प्रतिभूतियों को डिमटैरियलाइज्ड़ रूप में निम्नलिखित तरीके से रखने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है :

- ऐसी सभी कंपनियों को, जिनका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता है, उनके ग्राहकों की ओर से घटक सीएसजीएल खाते खोलने की अनुमति दी जाती है;
- गैर-बैंक होते हुए भी डिपॉज़िटरिज़ (निक्षेपियों) [एनएसडीएल/सीडीएसएल] तथा भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड जैसे संगठनों के लिए एक अतिरिक्त एसजीएल खाते का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से वे अपने ग्राहकों की ओर से सीएसजीएल खाते खोल सकें।
- डिपॉज़िटरियों द्वारा ब्याज और पूंजी आय प्रेषण करने के लिए किये गये डाक व्यय के मूल्य का वहन रिज़र्व बैंक करेगा ताकि डिमैटेरियलाइज्ड धारिता और उत्कृष्ट (गिल्ट) प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- सीएसजीएल खातों के रखरखाव के लिए अपनाये जाने वाले निर्धारित रक्षात्मक उपायों संबंधी दिशानिर्देश बैंकों को जारी किये गये हैं।
- ग्राहकों द्वारा (सीएसजीएल खातों के माध्यम से) सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये लेनदेनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में ऐसे लेनदेनों की रिपोर्टिंग और भुगतान के लिए एक विशेष विशिष्टता शामिल की गयी है। ग्राहकों - अर्थात् सीएसजीएल खाताधारकों की तरफ से बोलियाँ लगाने के लिए भी एनडीएस में प्रावधान किया गया है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, इस समय सरकारी प्रतिभूतियों के 99 प्रतिशत लेनदेन रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खातों के ज़रिए किये जाते हैं। भुगतान पर सुपुर्दगी प्रणाली (डीवीपी), निधियों पर प्रतिभूतियों का एक-साथ अंतरण सुनिश्चित करती है।

कुछ सहकारी बैंकों द्वारा कतिपय ब्रोकर कंपनियों की सहायता से भौतिक (फिजिकल) फार्मेट की सरकारी प्रतिभूतियों की आड़ में हाल ही में किये गये कपटपूर्ण लेनदेन को ध्यान में रखते हुए, अब यह प्रस्ताव है कि भौतिक फॉर्म में लेनदेन की व्याप्ति को और कम करने के लिए अवलोकन के अंतर्गत तत्काल उपाय किये जायें। ये उपाय निम्नानुसार हैं :

रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित सभी कंपनियों (वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के अपने संविभाग निवेश, या तो एसजीएल में (रिज़र्व बैंक के पास) या सीएसजीएल में (अनुसूचित वाणिज्य बैंक/राज्य सहकारी बैंक/प्राथमिक व्यापारी/वित्तीय संस्था/प्रायोजक बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में] और भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड या डिपॉज़िटरियों के पास डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखें।

- ऐसी किसी कंपनी द्वारा केवल एक सीएसजीएल या डिमटेरियलाइज्ड खाता खोला जा सकता है।
- यदि सीएसजीएल खाते किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या राज्य सहकारी बैंक के पास खोले जाते हैं तो खाताधारक को चाहिए कि वह उसी बैंक में नामित निधि खाता (सीएसजीएल से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए) खोलें।
- यदि सीएसजीएल खाता किसी गैर-बैंकिंग संस्था में खोला गया है तो नामित निधि खाता (बैंक के पास) के विवरण उस संस्था को सूचित किये जाने चाहिए।
- जो कंपनियां सीएसजीएल/नामित निधि खाते रखती हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लेनदेन करने से पहले खरीद के लिए नामित निधि खातों में पूरी निधियाँ उपलब्ध हैं और बिक्रियों के लिए सीएसजीएल खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हैं।
- रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित कंपनियों को चाहिए कि वे तत्काल प्रभाव से किसी भी ब्रोकर के साथ भौतिक रूप में कोई लेनदेन न करें।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2002
28 जून तथा 29 जून 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

शाखा बैंकिंग

मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि 9 मार्च 2002 के मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने संबंधी उसके अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे। बैंक फसली मौसमों से सहबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की मौजूदा प्रथा जारी रख सकते हैं। बैंकों को अन्य अग्रिमों के संदर्भ में मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना होगा।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि पहली अप्रैल 2002 से मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की पद्धति को अपनाने की परिकल्पना 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण-हानि के निर्धारण के लिए 90 दिन का मानदंड अपनाने तथा उसके परिणामस्वरूप ऋणकर्ताओं के खातों की गहन निगरानी के परिप्रेक्ष्य में की गयी थी। अत: बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च 2003 तक मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगायें और मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रथा पहली अप्रैल 2003 से अपनायें।

पहली अप्रैल 2003 से मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं प्रशासित दरें लागू होती हैं वहां उन्हें उपयुक्त रूप से पुन: सुसंबद्ध करना चाहिए ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। अन्य सभी मामलों में भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी दर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाये जाने के कारण मात्र से ही अधिक न हो जाये।

इससे पहले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे पहली अप्रैल 2002 से अग्रिमों पर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनायें।

पास बुक को अद्यतन बनाना

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि उनके पास बचत/चालू खाता रखने वाले ग्राहकों के पास बुक अद्यतन करते समय हर लेनदेन के पूर्ण विवरण दें, फिर चाहे ग्राहक ने चेक जारी करके आहरण किया हो और बैंकर समाशोधन गृह के माध्यम से चेक प्रस्तुत किया हो या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का प्रयोग करके प्रविष्टियाँ की हों।

तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कम्प्यूटरों के माध्यम से पास बुकों को अद्यतन बनाते समय, हर लेनदेन के पूर्ण विवरण देने के लिए अपने सॉफ्टवेअर पैकेज रीमॉडेल करा लें।

रिज़र्व बैंक को यह जानकारी मिली थी कि कुछ बैंकों में, जहां कम्प्यूटरों द्वारा पास बुक अद्यतन की जाती हैं, प्रविष्टियों में चेक संख्या/वारंट संख्या, उस पार्टी का नाम जिससे प्राप्ति हुई है, आदि को शामिल नहीं किया जाता है। खासकर तब, जब विभिन्न तारीखों के आंकड़े भी समरूप होते हैं, प्रविष्टियों में मात्र *बाइ सीएलजी* अथवा *टू सीएलजी* लिख देने से ही स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया है कि आइ एफ आर की गणना निवेशों के संदर्भ में दो श्रेणियों अर्थात् *व्यापार के लिए धारित* तथा *बिक्री के लिए उपलब्ध* में की जाये। इस प्रकार, आइ एफ आर की गणना के प्रयोजन के लिए निवेश को *अवधिपूर्णता के लिए धारित* श्रेणी के अंतर्गत, जो व्यापार के लिए नहीं है, शामिल करना आवश्यक नहीं होगा।

जनवरी 2002 में अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण भविष्य में ब्याज दर वातावरण के संभावित विपर्यय से बचने के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि निर्मित करने के उद्देश्य से बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे पांच वर्ष की अवधि के भीतर निवेश संविभाग की कम से कम 5.0 प्रतिशत की निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि निर्मित करें। बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी थी कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपने संविभाग के आकार और उसके संघटन के आधार पर संविभाग के अधिकतम 10.0 प्रतिशत का आइ एफ आर निर्मित कर सकते हैं।

लघु उद्योगों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण

लघु उद्योगों को ऋण उपलब्धि में अधिक सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सूचित किया है कि वे इकाइयों का पिछला समुचित रिकार्ड और इकाइयों की वित्तीय परिस्थिति के आधार पर ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यकता में छूट की सीमा 5 लाख रुपये के वर्तमान स्तर से 15 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

इससे पूर्व रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2000 में अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यकता में छूट देने की घोषणा की थी। बाद में, जनवरी 2002 में यह छूट सभी लघु उद्योग इकाइयों को भी दी गयी।

विदेशी मुद्रा

विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन

प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे निवासियों, जिन्हें विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन देने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है, की ओर से सनदी लेखाकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें। सनदी लेखाकार को यह प्रमाणित करना होगा कि -

(क) आवेदक निर्यातक ने पूर्वगामी दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्यात आय प्राप्त की है और

(ख) विज्ञापन, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का विप्रेषण किया गया है, उसका विदेशी टेलिविजन कंपनी द्वारा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी प्रसारण किया गया हो।

ऐसे निर्यातक, जिनकी पूर्वगामी दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात आय 10 लाख रुपये से कम है, उन्हें विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन तब तक आवश्यक है जब तक उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते से भुगतान न किया गया हो।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**